संख्या- 104/2017 /3194/चौबीस-पी-1-2017

प्रेषक:

राजीव कुमार,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 13 दिसम्बर, 2017**

विषय:-'सौभाग्य' योजना (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर समिति के गठन के सम्बंध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा सभी शहरी एवं ग्रामीण परिवारों को विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 'सौभाग्य' योजना प्रारम्भ की गयी है। जिसकी विस्तृत गाईड-लाइन्स भारत वेबसाइट www.saubhagya.gov.in पर उपलब्ध है। प्रदेश के विकास एजेण्डा 'पावर फार आल' एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बिन्दु है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में माह दिसम्बर, 2018 तक लगभग 1.56 करोड़ घरों को नये विद्युत संयोजन दिये जाने हैं। योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन शासन की उच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित किया गया है। योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत है:-

(1) समस्त ग्रामीण एवं शहरी गरीब परिवारों को नि:शुल्क विद्युत संयोजन निर्गत किया जायेगा।

(2) ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य परिवारों को रू0 50 प्रतिमाह की कुल 10 मासिक किस्तों के शुल्क पर विद्युत संयोजन दिया जायेगा।

(3) शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे सामान्य परिवार नि:शुल्क संयोजन योजना में सम्मिलित नहीं है।

(4) 'सौभाग्य' योजना में निर्गत किये जाने वाले समस्त विद्युत संयोजन मीटर्ड होंगे।

(5) गरीब परिवारों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना वर्ष 2011 (SECC 2011) के आधार पर की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) निम्न विभव लाइन से 40 मीटर की अधिक दूरी वाले संयोजनों हेतु इच्छुक उपभोक्ताओं के लिए एल0टी0 एरियल बंचड केविल पर निम्न विभव विद्युत लाइन का निर्माण किया जायेगा।

(7) भारत सरकार द्वारा 'सौभाग्य' योजना में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आर0ई0सी0) को नोडल संस्था नामित किया गया है।

(8) योजना का व्यापक प्रचार एवं प्रसार किया जायेगा एवं उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नियमित कैम्प भी लगाये जायेंगे।

(9) योजना में उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन निर्गत कराने हेतु मोबाइल ऐप का भी प्रयोग किया जायेगा।

2- उत्तर प्रदेश में 'सौभाग्य' योजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं उसकी सहयोगी विद्युत वितरण निगम नोडल संस्थायें होंगी।

3- भारत सरकार द्वारा निर्धारित 'सौभाग्य' योजना की दिशा निर्देश के अनुसार इसके क्रियान्वयन के अनुश्रवण, व्यापक प्रचार प्रसार, कैम्पों के आयोजन का नियोजन एवं अन्य व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना है।

4- इस सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप 'सौभाग्य' योजना की प्रगति का पाक्षिक अनुश्रवण करें, योजना का जिला स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करायें, कैम्पों के आयोजन का नियोजन एवं इनकी सुरक्षा की व्यवस्था, विद्युत तन्त्र के निर्माण में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण एवं SECC डाटा भी उपलब्ध करायें।

5- अतः कृपया आप 'सौभाग्य' योजना के दिशा- निर्देशानुसार अपने जनपद में निम्न सदस्यों की समिति का गठन कर योजना का सफल क्रियान्वयन करायें।

(1)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(2)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(3)	ए0डी0एम0 (ई)	सदस्य
(4)	जिला पंचायतराज अधिकारी	सदस्य
(5)	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
(6)	अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण), सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	संयोजक सदस्य

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उक्त समिति में आप आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों को सम्मिलित कर सकते है। 'सौभाग्य' योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश तथा कार्यकारी जानकारियॉ ऊर्जा विभाग द्वारा आपाको प्रेषित की जायेंगी। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप व्यकितगत रूचि लेकर अपने नेतृत्व में 'सौभाग्य' योजना के क्रियान्वयन को गति प्रदान करेंगे ताकि आपका जनपद प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत अग्रणी स्थान प्राप्त करे। योजना के क्रियान्वयन की प्रगति से आप कृपया समय-समय पर प्रमुख सचिव, ऊर्जा को अवगत कराये तथा क्रियान्वयन में फील्ड स्तर पर यदि कोई कठिनाई महसूस की जाती है तो उसे भी ऊर्जा विभाग को तत्परता से अवगत कराया जाये।

भवदीय,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव।

संख्या- 104/2017/3194-पी-1-2017 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
6- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली।
7- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल - मेरठ/ मध्यांचल - लखनऊ/ दक्षिणांचल - आगरा/ पूर्वान्चल - वाराणसी एवं केस्को - कानपुर को इस निर्देश के साथ कि वे वितरण क्षेत्र के सम्बन्धित अधिकारियों को जिलाधिकारी से सम्पर्क कर उसको योजना से अवगत करायें एवं जिला प्रशासन से SECC डाटा प्राप्त करें।

आज्ञा से,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in